

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु

:: कार्यालय- आदेश ::

वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना क्रमांक : F 15 (1) FD (Rules)2017/ Jaipur Date 30-10-2017 एवं 09-12-2017 के नियम 14 एवं 15 (अनुसूची-VI) एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक F 14 (88) FD (Rules)2008-I Date 31-12-2009 के अनुसार सलंगन सूची में अंकित कर्मचारियों को आश्वासित केरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

संबन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि :-

1. कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स/ लेवल में वेतन प्राप्त कर रहा है।
2. इस स्वीकृति के फलस्वरूप कार्मिक का वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 व 15 के प्रावधानान्तर्गत किया जावें।
3. सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
4. सम्बन्धित कार्मिक के दिनांक 01-06-2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं हो एवं पूर्व में कार्मिक को विभागीय जाँच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया हो।
6. जिन कार्मिकों ने सेवा के दौरान पदौन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिये ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझा जावें।
7. कार्मिक के विरुद्ध वेतन से सम्बन्धित किसी प्रकार की वसुली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
8. कर्मचारियों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के आधार पर एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।
9. पाते वेतन व्याख्याता/प्र0अ0 की डीपीसी पूर्व वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध हो जाने पर नियमानुसार प्रकरण को पुनः खोला जाकर राज्य सेवाओं पर लागू एसीपी नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति संशोधित की जाकर अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी।
10. इन कर्मचारियों को इस कार्यालय द्वारा इस आदेश से पूर्व किसी अन्य आदेश से पूर्व में स्वीकृत एसीपी की स्वीकृति इस आदेश के अन्तर्गत समायोजित की जानी सुनिश्चित की जावे।

सलंगन :- क.स. 01 से 15 तक

(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

क्रमांक :-संनि./स्कूल शिक्षा/चूरु/लेखा-4/एसीपी/फा-210/2020/245-60 दिनांक : 30.9.2020
प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित मुख्य जिशिअ/जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक, सीकर/चूरु/झुंझुनू ।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित पीईईओ/संस्थाप्रधान
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कार्यालय प्रति।

(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु

एसीपी स्वीकृति सूची

आदेश संख्या : 245-60

दिनांक : 30-9-2020

जिला-सीकर

क्र. सं.	नाम कार्मिक पद एवं पदस्थापन स्थान	नियमित नियुक्ति तिथि	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित लेवल (Existing Level in Pay Matrix)	एसीपी स्वीकृत दिनांक	एसीपी पर स्वीकृत लेवल (Granted ACP Level in Pay Matrix)
1	श्री बृजलाल कल्याणिया, व.पु.अ. राबाउमावि छावनी, नीमकाथाना, सीकर	02-07-93	27 Year	L-13	02-07-2020	L-14
2	श्री रामकरण सिंह, व.अ. रामावि मरडाटू बड़ी, सीकर	06-07-93	27 Year	L-12	06-07-2020	L-13
3	श्रीमती सुमित्रा देवी, व.अ. रा.जी.डी. रुइया उमावि, रामगढ़, सीकर	06-05-02	18 Year	L-11	06-05-2020	L-12
4	श्री पृथ्वीसिंह लामा, व.अ. राउमावि कारंगा छोटा, सीकर	27-11-91	27 Year	L-12	27-11-2018	L-13
5	श्री श्रवण कुमार, व.अ. राउमावि ठिकरिया, सीकर	21-04-93	27 Year	L-12	21-04-2020	L-13
6	श्रीमती सुमन भानुका, व.अ. रामावि आंतरी, सीकर	22-03-93	27 Year	L-12	22-03-2020	L-13
7	श्री रामचन्द्र सिंह, व.अ. राउमावि किरडोली, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13
8	श्रीमती सविता कुमारी माथुर, व.अ. शहीद गणपतसिंह राउमावि सिहोट छोटी, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13
9	श्री लक्ष्मणराम सेवदा, व.अ. रामावि सेवा, धोद, सीकर	08-04-93	27 Year	L-12	08-04-2020	L-13
10	श्री विमल कुमार शर्मा, व.अ. राउमावि सरवड़ी, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13
11	श्री मदनलाल रैगर, व.अ. राउमावि सुलियाबास, सीकर	19-04-93	27 Year	L-12	19-04-2020	L-13
12	श्री मनोज कुमार मीणा, व.शा.शि. राउमावि रींगस, सीकर	13-08-93	27 Year	L-12	13-08-2020	L-13
13	श्री सांवरमल योगी, व.अ. राउमावि आसपुर, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13
14	श्री जेसराज शर्मा, व.अ. राउप्रावि प्रतापपुरा, सीकर	26-02-92	27 Year	L-12	26-02-2019	L-13
15	श्री हरलाल सिंह हुड्डा, व.अ. रा. सुभाष मावि, फतेहपुर, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13

नोट - उपरोक्त कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का एरियर देय नहीं होगा।


 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु

:: कार्यालय- आदेश ::

वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना क्रमांक : F 15 (1) FD (Rules)2017/ Jaipur Date 30-10-2017 एवं 09-12-2017 के नियम 14 एवं 15 (अनुसूची-VI) एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक F 14 (88) FD (Rules)2008-I Date 31-12-2009 के अनुसार सलंगन सूची में अंकित कर्मचारियों को आश्वासित करियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

संबन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि :-

1. कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स/ लेवल में वेतन प्राप्त कर रहा है।
2. इस स्वीकृति के फलस्वरूप कार्मिक का वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 व 15 के प्रावधानान्तर्गत किया जावे।
3. सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
4. सम्बन्धित कार्मिक के दिनांक 01-06-2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं हो एवं पूर्व में कार्मिक को विभागीय जांच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया हो।
6. जिन कार्मिकों ने सेवा के दौरान पदौन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिये ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझा जावे।
7. कार्मिक के विरुद्ध वेतन से सम्बन्धित किसी प्रकार की वसुली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
8. कर्मचारियों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के आधार पर एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकुल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।
9. पाते वेतन व्याख्याता/प्र0अ0 की डीपीसी पूर्व वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध हो जाने पर नियमानुसार प्रकरण को पुनः खोला जाकर राज्य सेवाओं पर लागू एसीपी नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति संशोधित की जाकर अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी।
10. इन कर्मचारियों को इस कार्यालय द्वारा इस आदेश से पूर्व किसी अन्य आदेश से पूर्व में स्वीकृत एसीपी की स्वीकृति इस आदेश के अन्तर्गत समायोजित की जानी सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- क्र.स. 01 से 12 तक

(सुरेन्द्र सिंह गौड़)

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

चूरु संभाग, चूरु

क्रमांक :-संनि./स्कूल शिक्षा/चूरु/लेखा-4/एसीपी/फा-210/2020/231-44 दिनांक : 30.9.2020

प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित मुख्य जिशिअ/जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक, सीकर/चूरु/झुंझुनू।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित पीईईओ/संस्थाप्रधान
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कार्यालय प्रति।

(सुरेन्द्र सिंह गौड़)

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

चूरु संभाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु

एसीपी स्वीकृति सूची


जिला-सीकर

आदेश संख्या : 231-44

दिनांक : 30.9.2020

क. सं.	नाम कार्मिक पद एवं पदस्थापन स्थान	नियमित नियुक्ति तिथि	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित लेवल (Exsiting Level in Pay Matrix)	एसीपी स्वीकृत दिनांक	एसीपी पर स्वीकृत लेवल (Granted ACP Level in Pay Matrix)
1	श्री गिरधारीलाल सैनी, व.अ. राउमावि बासडी खुर्द, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13
2	श्री अशोक कुमार वर्मा, व.अ. राउमावि नाथा की नांगल, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13
3	श्री बहादुरमल, व.अ. राउमावि नाथा की नांगल, सीकर	24-04-93	27 Year	L-12	24-04-2020	L-13
4	श्री सुभाषचन्द्र स्वामी, व.शा.शि. राउमावि पनलावा, सीकर	05-02-01	18 Year	L-12	05-02-2019	L-13
5	श्री रामलाल, व.अ. राउमावि चूडी मियान, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13
6	श्री मनु कुमार, व.अ. शहीद जयपालसिंह राउमावि खींवासर, सीकर	23-12-92	27 Year	L-12	23-12-2019	L-13
7	श्री कृष्ण कुमार सैनी, व.अ. राबाउमावि बलारा, सीकर	28-11-92	27 Year	L-12	28-11-2019	L-13
8	श्रीमती तारामणी, व.अ. राबाउमावि बलारा, सीकर	15-03-93	27 Year	L-12	15-03-2020	L-13
9	श्री रमेशचन्द्र वर्मा, व.अ. रामावि नापावाली, सीकर	15-02-92	27 Year	L-12	15-02-2019	L-13
10	श्री गोपाललाल रैगर, व.पु.अ. शहीद सीताराम कुमावत एवं के.एल. ताम्बी राउमावि पलसाना, सीकर	26-07-93	27 Year	L-13	26-07-2020	L-14
11	श्री अमर पालसिंह, व.अ. रामावि दीनारपुरा, पिपराली, सीकर	03-08-93	27 Year	L-12	03-08-2020	L-13
12	श्री राधेश्याम, व.अ. रामावि बराल, सीकर	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13

नोट - उपरोक्त कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का एरियर देय नहीं होगा।


 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु


:: कार्यालय- आदेश ::

वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना सं. प.11 (7) वित्त (नियम) 2008 दिनांक 12-9-2008 के नियम 19 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक F 14 (88) FD (Rules)2008-I Date 31-12-2009, एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या पं.14(1)वित्त(नियम)/2013-1 दिनांक-06-04-2013 तथा F 14 (88) FD (Rules) 2008 Date - 06-04-2013, एवं पं.14(1) वित्त (नियम)/2013-1 एवं 11 दिनांक 28-06-13 तथा ज्ञापन क्रमांक पं.14(88)वित्त(नियम)/2008 दिनांक 05-07-2013 के अनुसार सलंगन सूची के अनुसार कर्मचारियों को आशवासित केरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ स्वीकृत किया जाता है ।

संबन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि :-


1. कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा है।
2. उपरोक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नतिकरण के अन्तर्गत वेतन व ग्रेड वेतन का निर्धारण सम्बन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी के द्वारा नियम 19 के अनुसार किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
4. सम्बन्धित कार्मिक के दिनांक 01-06-2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं हो एवं पूर्व में कार्मिक को विभागीय जांच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया हो।
6. जिन कार्मिकों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिये ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझा जावे।
7. कार्मिक के विरुद्ध वेतन से सम्बन्धित किसी प्रकार की वसुली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
8. कर्मचारियों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के आधार पर एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।
9. पाते वेतन व्याख्याता/प्र0अ0 की डीपीसी पूर्व वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध हो जाने पर नियमानुसार प्रकरण को पुनः खोला जाकर राज्य सेवाओं पर लागू एसीपी नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति संशोधित की जाकर अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी।
10. इन कर्मचारियों को इस कार्यालय द्वारा इस आदेश से पूर्व किसी अन्य आदेश से पूर्व में स्वीकृत एसीपी की स्वीकृति इस आदेश के अन्तर्गत समायोजित की जानी सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- क.स. 01 से 03 तक


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

क्रमांक :-संनि./स्कूल शिक्षा/चूरु/लेखा-4/एसीपी/फा-210/2020/226-36 दिनांक : 30.9.2020
प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक सीकर/चूरु/झुंझुनू ।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित पीईईओ/संस्थाप्रधान
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कार्यालय प्रति।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु

एसीपी स्वीकृति सूची

आदेश संख्या : 226-30


दिनांक : 30.9.2020

जिला-सीकर

Runing Pay Band -----9300-34800-----

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद एवं पदस्थापन स्थान श्री/सुश्री/ श्रीमती राउमावि/रामावि/ राउप्रावि (बालिका)	नियमित नियुक्ति तिथि	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित ग्रेड पे/तिथि	स्वीकृत दिनांक	एसीपी में स्वीकृत ग्रेड पे
1	श्री रघुवीर सिंह, व.अ. राउमावि कूदन, सीकर	03-09-97	9 Year	3600	03-07-06	4200
			18 Year	4800	03-07-15	5400
2	श्री हीरालाल रैगर, व.अ. रामावि मुण्डियावास, सीकर	27-12-89	27 Year	4800	27-12-16	5400
3	श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर, व.अ. राउप्रावि खुड़ी, सीकर	01-07-85	27 Year	3600	01-07-12	4200

नोट - उपरोक्त कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में 01.09.06 में हुये स्थिरीकरण के अन्तर्गत देय एसीपी में दिनांक 01.09.06 से 31.12.06 तक का एरियर देय नहीं होगा। एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2008 (चतुर्थ संशोधन) के अन्तर्गत स्वीकृत एसीपी में दिनांक 01.01.06 से 30.06.13 तक का एरियर देय नहीं होगा।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु


:: कार्यालय- आदेश ::

वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना क्रमांक : F 15 (1) FD (Rules)2017/ Jaipur Date 30-10-2017 एवं 09-12-2017 के नियम 14 एवं 15 (अनुसूची-VI) एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक F 14 (88) FD (Rules)2008-I Date 31-12-2009 के अनुसार सलंगन सूची में अंकित कर्मचारियों को आशवासित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

संबन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि :-


1. कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स/ लेवल में वेतन प्राप्त कर रहा है।
2. इस स्वीकृति के फलस्वरूप कार्मिक का वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 व 15 के प्रावधानान्तर्गत किया जावे।
3. सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
4. सम्बन्धित कार्मिक के दिनांक 01-06-2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं हो एवं पूर्व में कार्मिक को विभागीय जांच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया हो।
6. पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों की सूचना इस कार्यालय को भिजवाते हुये इनका वेतन आदेश क्रमांक प0 20 (1) एफडी/ग्रुप-2/92 (आरपीएस 89-11/96) दिनांक 4.12.96 के अनुसार किया जावे एवं जिन कार्मिकों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिये ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझा जावे।
7. कार्मिक के विरुद्ध वेतन से सम्बन्धित किसी प्रकार की वसुली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
8. कर्मचारियों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र होने के आधार एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

सलंगन :- क.स. 01 से 07 तक


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु

क्रमांक :-संनि./स्कूल शिक्षा/चूरु/लेखा-4/एसीपी/फा-212/2020/216-25 दिनांक : 30-9-2020
प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित मुख्य जिशिअ/जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक, सीकर/चूरु/झुंझुनू।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित पीईईओ/संस्थाप्रधान
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कार्यालय प्रति।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु

एसीपी स्वीकृति सूची

आदेश संख्या : 216-25

दिनांक : 30-9-2020

मण्डल- चूरु

क्र.सं.	नाम कार्मिक पद एवं पदस्थापन स्थान	नियमित नियुक्ति तिथि	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित लेवल (Exsiting Level in Pay Matrix)	एसीपी स्वीकृत दिनांक	एसीपी प स्वीकृत लेव (Granted A Level in Pa Matrix)
1	श्री लीलाराम बैरवा, व.स. राउमावि सडूबड़ी, चूरु	01-06-2K	18 Year	L-8	01-06-2018	L-9
2	श्री तेजपाल जाखड़, व.स. राउमावि कल्याणसर, चूरु	22-03-01	18 Year	L-8	22-03-2019	L-9
3	श्री महावीर सिंह शेखावत, व.स. राउमावि श्रीमाधोपुर, सीकर (दि. 01.06.2002 के पश्चात् 2 से अधिक सन्तान होने के कारण)	14-02-90	27 Year	L-10	14-02-2020	L-11
4	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, स0प्र0अ0 राउमावि बिरानिया, सीकर	26-03-93	27 Year	L-10	26-03-2020	L-11
5	श्री कमलेश कुमार शर्मा, व.स. सीबीईओ लक्ष्मणगढ़, सीकर	25-06-02	18 Year	L-8	25-06-2020	L-9
6	श्री प्रकाश जाखड़, व.स. राउमावि पालड़ी, सीकर	18-05-02	18 Year	L-8	18-05-2020	L-9
7	श्री ओमप्रकाश शर्मा, स0प्र0अ0 रा. श्री वृजलाल बुधिया बाउमावि रतननगर, चूरु	26-06-93	27 Year	L-10	26-06-2020	L-11

नोट - उपरोक्त कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का एरियर देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु

:: कार्यालय- आदेश ::

वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना क्रमांक : F 15 (1) FD (Rules)2017/ Jaipur Date 30-10-2017 एवं 09-12-2017 के नियम 14 एवं 15 (अनुसूची-VI) एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक F 14 (88) FD (Rules)2008-I Date 31-12-2009 के अनुसार सलंगन सूची में अंकित कर्मचारियों को आश्वासित केरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

संबन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि :-

1. कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स/लेवल में वेतन प्राप्त कर रहा है।
2. इस स्वीकृति के फलस्वरूप कार्मिक का वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 व 15 के प्रावधानान्तर्गत किया जावे।
3. सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
4. सम्बन्धित कार्मिक के दिनांक 01-06-2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं हो एवं पूर्व में कार्मिक को विभागीय जांच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया हो।
6. जिन कार्मिकों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिये ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझा जावे।
7. कार्मिक के विरुद्ध वेतन से सम्बन्धित किसी प्रकार की वसुली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
8. कर्मचारियों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के आधार पर एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।
9. पाते वेतन व्याख्याता/प्र0अ0 की डीपीसी पूर्व वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध हो जाने पर नियमानुसार प्रकरण को पुनः खोला जाकर राज्य सेवाओं पर लागू एसीपी नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति संशोधित की जाकर अधिक भुगतान की वसूली की जायेगी।
10. इन कर्मचारियों को इस कार्यालय द्वारा इस आदेश से पूर्व किसी अन्य आदेश से पूर्व में स्वीकृत एसीपी की स्वीकृति इस आदेश के अन्तर्गत समायोजित की जानी सुनिश्चित की जावे।

सलंगन :- क.स. 01 से 09 तक


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

क्रमांक :-संनि./स्कूल शिक्षा/चूरु/लेखा-4/एसीपी/फा-209/2020/206-15 दिनांक : 30.9.2020
प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित मुख्य जिशिअ/जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक, सीकर/चूरु/झुंझुनू।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित पीईईओ/संस्थाप्रधान
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कार्यालय प्रति।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु

एसीपी स्वीकृति सूची

आदेश संख्या : 206-15

दिनांक : 30.9.2020

जिला-झुंझुनू

क्र. सं.	नाम कार्मिक पद एवं पदस्थापन स्थान	नियमित नियुक्ति तिथि	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित लेवल (Exsiting Level in Pay Matrix)	एसीपी स्वीकृत दिनांक	एसीपी पर स्वीकृत लेवल (Granted ACP Level in Pay Matrix)
1	श्री मोहरसिंह, व.अ. राउम्रावि बास हरिपुरा, झुंझुनू	15-03-93	27 Year	L-12	15-03-2020	L-13
2	श्रीमती दयाकोर, व.अ. राउम्रावि बिरमी, झुंझुनू	03-07-93	27 Year	L-12	03-07-2020	L-13
3	श्रीमती शर्मिला नेहरा, व.अ. रामावि खेड़ला, झुंझुनू	14-05-93	27 Year	L-12	14-05-2020	L-13
4	श्री अजय कुमार कृष्णियां, व.अ. राउम्रावि वार्ड नं. 2 पिलानी, झुंझुनू	01-07-93	27 Year	L-12	01-07-2020	L-13
5	श्री मातादीन, व.अ. रामावि चोराड़ी अगुणी, झुंझुनू	10-07-93	27 Year	L-12	10-07-2020	L-13
6	श्री जयवीर सिंह, व.अ. रामावि बास बिजोली, झुंझुनू	01-07-93	27 Year	L-13	01-07-2020	L-14
7	श्री सुरेश कुमार, व.अ. राउम्रावि सूजडोला, झुंझुनू	02-07-93	27 Year	L-12	02-07-2020	L-13
8	श्रीमती गीता देवी, व.अ. राउम्रावि खेड़ला, झुंझुनू	04-08-93	27 Year	L-12	04-08-2020	L-13
9	श्री रणवीर सिंह मान, व.अ. रामावि निर्बाणों की ढाणी, केड, झुंझुनू	26-03-93	27 Year	L-12	26-03-2020	L-13

नोट - उपरोक्त कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का एरियर देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु


:: कार्यालय- आदेश ::

राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राज्य सेवा में समायोजित कार्मिकों को राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 5 (2) कार्मिक/क-2/10 दिनांक 29.11.2010 के नियम 5 (IV) व श्रीमान प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग राज. जयपुर के पत्रांक पं. 8(4) शिक्षा-5/2011 दिनांक 08-11-2011 के अनुसरण में वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना F 15 (1) FD (Rules)2017/ Jaipur Date 30-10-2017 एवं 09-12-2017के नियम 14 व 15 (अनुसूची-VI) एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक F 14 (88) FD (Rules) 2008-I Date 31-12-2009 एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, के पत्रांक प.17 (48) शिक्षा-2/वि.प्र./2012 दिनांक 12.10.2012 के अनुसार संलग्न सूची में अंकित कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ स्वीकृत किया जाता है। आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ राज्य सेवा से समायोजन पर कार्यग्रहण तिथि से पूर्व का पूर्व की अनुदानित संस्था से ही देय होगा :-

संबन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि :-


1. कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत पे-मैट्रिक्स/ लेवल में वेतन प्राप्त कर रहा है।
2. इस स्वीकृति के फलस्वरूप कार्मिक का वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 14 व 15 के प्रावधानान्तर्गत किया जावे।
3. सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
4. सम्बन्धित कार्मिक के दिनांक 01-06-2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं हो।
6. कार्मिक के विरुद्ध वेतन से सम्बन्धित किसी प्रकार की वसुली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
7. कर्मचारियों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के आधार पर एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

संलग्न :- क.स. 01 से 03 तक


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

क्रमांक :-सं.नि./स्कूल शिक्षा/चूरु/लेखा-4/एसीपी/फा-168/2020/201-204 दिनांक : 30-9-2020
प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित मुख्य जिशिअ/जिशिअ (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक, सीकर/चूरु/झुंझुनू।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित पीईईओ/संस्थाप्रधान
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कार्यालय प्रति।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु

एसीपी स्वीकृति सूची


आदेश संख्या : 201-204

दिनांक : 30-9-2020

मण्डल- चूरु

क्र. सं.	नाम कार्मिक पद एवं पदस्थापन स्थान	नियमित नियुक्ति तिथि	राज्य सेवा में समायोजन पर कार्यग्रहण तिथि	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित लेवल (Exsiting Level in Pay Matrix)	एसीपी स्वीकृत दिनांक	एसीपी पर स्वीकृत लेवल (Granted ACP Level in Pay Matrix)
1	श्री जगदीश प्रसाद, व.अ. राउमावि डूमोलीकला, झुंझुनूं	30-07-92	01-07-11	27 Year	L-13	30-07-2019	L-14
2	श्री सन्दीप कुमार शर्मा, व.अ. रामावि बुकनसर छोटा, चूरु	11-10-99	01-07-11	18 Year	L-12	11-10-2017	L-13
3	श्री सत्यनारायण साद, व.अ. राउमावि गोपालपुरा, चूरु	01-02-93	01-07-11	27 Year	L-13	01-02-2020	L-14

नोट - उपरोक्त कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक का एरियर देय नहीं होगा। आश्वासित केरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ राज्य सेवा से समायोजन पर कार्यग्रहण तिथि से पूर्व का देय नहीं होगा।


 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग चूरु


:: कार्यालय- आदेश ::

राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राज्य सेवा में समायोजित कार्मिकों को राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 5 (2) कार्मिक/क-2/10 दिनांक 29.11.2010 के नियम 5 (IV) व श्रीमान प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (गुप-5) विभाग राज. जयपुर के पत्रांक पं. 8(4) शिक्षा-5/2011 दिनांक 08-11-2011 के अनुसरण में वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना सं. प. 11 (7) वित्त (नियम) 2008 दिनांक 12-09-2008 के नियम 19 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक F 14 (88) FD (Rules) 2008-I Date 31-12-2009 एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, के पत्रांक प.17 (48) शिक्षा-2/वि.प्र./2012 दिनांक 12.10.2012 के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ स्वीकृत किया जाता है। आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ राज्य सेवा से समायोजन पर कार्यग्रहण तिथि से पूर्व का पूर्व की अनुदानित संस्था से ही देय होगा :-

संबन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि :-

1. कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा है।
2. उपरोक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नतिकरण के अन्तर्गत वेतन व ग्रेड वेतन का निर्धारण सम्बन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी के द्वारा नियम 19 के अनुसार किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी।
4. सम्बन्धित कार्मिक के दिनांक 01-06-2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करे।
5. सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं हो।
6. कार्मिक के विरुद्ध वेतन से सम्बन्धित किसी प्रकार की वसुली हो तो उसका समायोजन किया जावे।
7. कर्मचारियों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के आधार पर एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

संलग्न :- क.स. 01 से 01 तक


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु

क्रमांक :-संनि./स्कूल शिक्षा/चूरु/लेखा-4/एसीपी/फा-168/2019/201-205 दिनांक : 30.9.2020
प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक सीकर/चूरु/झुझुनू ।
2. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित पीईईओ/संस्थाप्रधान
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कार्यालय प्रति।


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु सम्भाग, चूरु

एसीपी स्वीकृति सूची

आदेश संख्या : 201-205

दिनांक : 30-9-2020


मण्डल - चूरु

Runing Pay Band -----9300-34800-----

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद एवं पदस्थापन स्थान श्री/सुश्री/श्रीमती राउमावि/रामावि/राउप्रावि (बालिका)	नियमित नियुक्ति तिथि	राज्य सेवा में समायोजन पर कार्यग्रहण तिथि	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित ग्रेड पे/ तिथि	स्वीकृत दिनांक	एसीपी में स्वीकृत ग्रेड पे
1	श्री विनोद कुमार, व.अ. राउमावि धींगडिया, झुंझुनूं	07-01-89	01-07-11	27 Year	5400	07-01-16	<u>6000</u> 15600-39100

नोट - उपरोक्त कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में 01.09.06 में हुये स्थिरीकरण के अन्तर्गत देय एसीपी में दिनांक 01.09.06 से 31.12.06 तक का एरियर देय नहीं होगा। एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2008 (चतुर्थ संशोधन) के अन्तर्गत स्वीकृत एसीपी में दिनांक 01.01.08 से 30.06.13 तक का एरियर देय नहीं होगा।

आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत वित्तीय उन्नतिकरण का लाभ राज्य सेवा से समायोजन पर कार्यग्रहण तिथि से पूर्व का पूर्व की अनुदानित संस्था से ही देय होगा।


 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 चूरु सम्भाग, चूरु